

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा


क्रमांक प.7(86) CM/HM/Budget /चिशिनि./2015/4466 दिनांक 28.10.2022

आदेश

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर एवं सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों से भरवाये जाने वाले राजकीय सेवा के बन्ध-पत्र को लागू करवाने के क्रम में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के आदेश क्रमांक प. 7(86)सीएमई/एचएम/बजट/डीएमई/एकेड/2015/8000 दिनांक 12.07.2022 एवं 4081 दिनांक 27.09.2022 की निरन्तरता में निम्नानुसार अतिरिक्त आदेश जारी किये जाते हैं :-


1. स्नातकोत्तर एवं सुपर-स्पेशियलिटी कोर्स के प्रवेश बेच 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिये एकबारीय शिथिलता प्रदान करते हुये बॉण्ड राशि को 10 लाख रूपयें किया जाता है। बॉण्ड की समायावधि पूर्वानुसार 02 वर्ष रहेगी।
2. प्रवेश बेच 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिये यह भी विशिष्ट प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक साल की राजकीय सेवा पूर्ण करने के उपरांत आगामी एक वर्ष की राजकीय सेवा नहीं करना चाहता है तो वह 05 लाख रूपयें की राशि राजकोष में जमा करवाकर शेष एक वर्ष के लिये बन्ध-पत्र से मुक्त हो सकेगा।

उपरोक्त आदेश में समस्त शेष प्रावधान यथानुसार रहेगे।


(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं निदेशक, राजमेस, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
7. निदेशक (जनस्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर।
8. अति0 निदेशक (प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव डीएमई, जयपुर।
9. अति0 निदेशक (एके.) डीएमई/राजमेस, जयपुर।


आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा विभाग